



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आश्विन 1939 (श0)
(सं0 पटना 897) पटना, सोमवार, 25 सितम्बर 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

25 सितम्बर 2017

सं० एल0जी0-01-27/2017/192/लेज:।—भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के अधीन बिहार-राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2017 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अध्यादेश, 2017

[बिहार अध्यादेश संख्या 2, 2017]

श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण हेतु कृषि बाजार प्रांगण, पटना सिटी के भूमि अंतरण करने के लिए प्रावधान करने हेतु अध्यादेश ।

प्रस्तावना।- चूँकि, बिहार राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है;

चूँकि, सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयन्ती समारोह और राज्य के लिए विशेष गौरवशाली ऐतिहासिक अवसर पर उनकी ज्वलंत जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान का निर्माण करना आवश्यक एवं समीचीन है; और,

चूँकि, बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण हेतु कृषि विभाग की कतिपय भूमि को चिन्हित किया गया है जिसे पर्यटन विभाग को अंतरित करना भी आवश्यक है; और,

चूँकि, बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अध्यादेश, 2017 को प्रख्यापित करने की तत्काल कारवाई करना आवश्यक एवं समीचीन हो गया है;

इसलिए अब भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- (1) यह अध्यादेश बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अध्यादेश, 2017 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार श्री गुरु गोविन्द सिंह बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान हेतु भूमि अंतरण तक ही सीमित होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ।- इस अध्यादेश में जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो-

- (i) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अध्यादेश, 2017;
- (ii) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अध्यादेश के साथ उपाबद्ध अनुसूची;
- (iii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
- (iv) "कृषि विभाग" से अभिप्रेत है बिहार सरकार का कृषि विभाग;
- (v) "पर्यटन विभाग" से अभिप्रेत है बिहार सरकार का पर्यटन विभाग;
- (vi) "बाजार प्रांगण" से अभिप्रेत है बिहार राज्य कृषि विभाग के अधीन बाजार प्रांगण।

3. बाजार प्रांगण की भूमि का अंतरण।- राज्य सरकार बिहार कृषि उपज बाजार प्रांगण, पटना सिटी की भूमि, जो बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) अधिनियम, 2006 द्वारा राज्य सरकार में निहित हो चुकी है और जो इस अध्यादेश की अनुसूची में उल्लेखित है, श्री गुरु गोविन्द सिंह की जीवनी पर आधारित बहुउद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को स्थायी रूप से अंतरित कर सकेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुसूची

पर्यटन विभाग को राज्य सरकार द्वारा अंतरित की जाने वाली बाजार प्रांगण, कृषि विभाग की भूमि का विवरण:-

मौजा-शिमली मुरारपुर, थाना संख्या-38, में अवस्थित बाजार समिति पटना सिटी के अर्जित भू-खण्ड में 10 (दस) एकड़ भू-खण्ड।

प्रस्तावित जमीन कि विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्रमांक	खाता सं०	खेसरा सं०	खतियानी रकवा	प्रस्तावित रकवा
01	471	1396	0.30 डी०	0.28.88 डी०
		1449	0.17 डी०	0.15.75 डी०
02	612	1390	0.72 डी०	0.71.25 डी०
		1391	0.14 डी०	0.13.77 डी०
		1393	0.03 डी०	0.02.75 डी०
		1394	0.20 डी०	0.18.25 डी०
03	614	1392	0.10 डी०	0.11.24 डी०
		1395	0.21 डी०	0.22.44 डी०
04	718	1397	0.33 डी०	0.33.44 डी०
		1398	0.26 डी०	0.24.52 डी०
		1399	0.24 डी०	0.24.00 डी०
		1400	0.24 डी०	0.19.51 डी०
		1453	0.64 डी०	0.60.43 डी०
		1454	0.29 डी०	0.28.40 डी०
05	769	1456	0.15 डी०	0.10.15 डी०
06	773	1457	0.02 डी०	0.02.00 डी०
		1455	1.49 डी०	1.14.15 डी०
07	829	1451	0.22 डी०	0.27.54 डी०
08	833	1444	0.22 डी०	0.15.37 डी०
09	840	1450	2.06 डी०	2.02.50 डी०
10	842	1443	0.14 डी०	0.14.72 डी०
11	843	1448	0.34 डी०	0.31.33 डी०
12	844	1447	0.57 डी०	0.59.70 डी०
13	967	1401	0.67 डी०	0.56.59 डी०
14	524	1452	0.71 डी०	0.63.59 डी०
15	841	1442	0.13 डी०	0.06.77 डी०
16	853	1446	0.27 डी०	0.19.85 डी०
17	838	1445	0.5 डी०	0.01.00 डी०
			कुल-11.36एकड़	10.00.02 एकड़

पटना ।

दिनांक 20 सितम्बर, 2017

(ह०) केशरी नाथ त्रिपाठी,

बिहार-राज्यपाल।

भारत संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड (1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना ।

दिनांक 20 सितम्बर, 2017

(ह०) केशरी नाथ त्रिपाठी,

बिहार-राज्यपाल।

25 सितम्बर 2017

सं० एल०जी०-०१-२७/२०१७/१९३/लेज:।—बिहार-राज्यपाल द्वारा दिनांक २० सितम्बर २०१७ को प्रख्यापित बिहार कृषि बाजार प्रांगण भूमि अंतरण अध्यादेश, २०१७ (बिहार अध्यादेश संख्या २, २०१७) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-३४८ के खंड (३) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

BIHAR AGRICULTURE MARKET YARD LAND TRANSFER ORDINANCE, 2017

[Bihar Ordinance No. 2, 2017]

AN

ORDINANCE

TO PROVIDE FOR THE TRANSFER OF LAND OF THE AGRICULTURE MARKET YARD, PATNA CITY LAND FOR THE PURPOSE OF CONSTRUCTION OF MULTIPURPOSE PRAKASH KENDRA AND GARDEN BASED ON THE LIFE OF SHREE GURU GOBIND SINGH JEE MAHARAJ

Preamble.- Whereas, the legislature of the State of Bihar is not in session;

Whereas, it is necessary and expedient to construct the multipurpose Prakash Kendra and Garden on the occasion of 350th jubilee of the tenth Sikh Guru Shree Guru Govind Singh Jee Maharaj based on his enlightened life and glorious historical event for the state, and;

Whereas, the certain land of Agriculture Department has been earmarked for the construction of multipurpose Prakash Kendra and garden, the transfer of which to the Tourism Department is also necessary, and;

Whereas, the Governor of Bihar is satisfied that circumstances exist which it render it necessary for him to take immediate action to promulgate the Bihar Agriculture Market Yard Land Transfer Ordinance, 2017;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution Of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Ordinance may be called the Bihar Agriculture Market Yard Land Transfer Ordinance, 2017.

(2) It shall extent to the land transfer for Shree Guru Govind Singh Multipurpose Prakash Kendra and Garden.

(3) It shall come into force at once.

2. Definations. In this Ordinance unless there is anything repugnant to the subject or context-

- (i) "**Ordinance**" means The Bihar Agriculture Market Yard Land Transfer Ordinance, 2017;
- (ii) "**Schedule**" means schedule annexed to this Ordinance;
- (iii) "**Government**" means the State Government of Bihar;
- (iv) "**Agriculture Department**" means the Agriculture Department of the Government of Bihar;
- (v) "**Tourism Department**" means the Tourism Department of the Government of Bihar;
- (vi) "**Market Yard**" means Market Yard under Agriculture Department of the State of Bihar.

3. Transfer of Market Yard Land.- The State Government may permanently transfer such land of Bihar Agriculture Produce Market Yard, Patna City which have been vested in the State Government by the Bihar Agricultural Produce (Repeal) Act, 2006 and which is mentioned in the schedule annexed to this Ordinance to the Tourism Department for the construction of multipurpose Prakash Kendra and Garden based on the life of Shree Guru Govind Singh.

SCHEDULE

Statement of Land of Market Yard of, Agriculture Department to be transfer to the Tourism Department by the State Government:-

10 (Ten) acrs plot of land acquired for Market Yard, Patna City located in Mauja-Shimli Murarpur, Thana Number-38.

Proposed land details are as follows-

SI No	Khata No.	Khesra No.	Khatihani area	Proposed Area
01	471	1396	0.30 D	0.28.88 D
		1449	0.17 D	0.15.75 D
02	612	1390	0.72 D	0.71.25 D
		1391	0.14 D	0.13.77 D
		1393	0.03 D	0.02.75 D

		1394	0.20 D	0.18.25 D
03	614	1392	0.10 D	0.11.24 D
		1395	0.21 D	0.22.44 D
04	718	1397	0.33 D	0.33.44 D
		1398	0.26 D	0.24.52 D
		1399	0.24 D	0.24.00 D
		1400	0.24 D	0.19.51 D
		1453	0.64 D	0.60.43 D
		1454	0.29 D	0.28.40 D
05	769	1456	0.15 D	0.10.15 D
06	773	1457	0.02 D	0.02.00 D
		1455	1.49 D	1.14.15 D
07	829	1451	0.22 D	0.27.54 D
08	833	1444	0.22 D	0.15.37 D
09	840	1450	2.06 D	2.02.50 D
10	842	1443	0.14 D	0.14.72 D
11	843	1448	0.34 D	0.31.33 D
12	844	1447	0.57 D	0.59.70 D
13	967	1401	0.67 D	0.56.59 D
14	524	1452	0.71 D	0.63.59 D
15	841	1442	0.13 D	0.06.77 D
16	853	1446	0.27 D	0.19.85 D
17	838	1445	0.5 D	0.01.00 D
			Total –11.36 Acre	10.00.02 Acre

Patna.

Date The 20th September, 2017

**Keshari Nath Tripathi,
Governor of Bihar.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 897-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>